''कृषि वानिकी : भावी दिशा'' पर क्षेत्रीय परामर्श

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली, भारत

8–10 अक्तूबर 2015

कृषि वानिकी पर
नई दिल्ली कार्य योजना, 2015

ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सैंटर (आईसीआरएएफ)
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास)
इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री (आईएसएएफ)
एशिया–पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (अपारी)

नई दिल्ली कार्य योजना

वर्ष 2014 में जब भारत की राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को अपनाया गया था, तभी संयोगवश आयोजित कृषि वानिकी पर विश्व कांग्रेस की अनुशंसाओं को तेजी से लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में (अक्तूबर 2015) में अपनाए गए टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके साथ ही क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से साझेदारी विकसित करने के लिए –

यह मानते हुए कि कृषि वानिकी की खाद्य, पोषणिक, ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने में मुख्य भूमिका होगी;

यह देखते हुए कि प्रभावी भूमि उपयोग प्रणालियों जिनका कृषि वानिकी एक मुख्य हिस्सा है, विकास संबंधी टिकाऊ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्थक भूमिका अदा करेगी;

यह पहचानते हुए कि कृषि योग्य भूमि सिकुड़ रही है, अतः कृषि वानिकी की विधियों के अंतर्गत भूमि के सर्वोत्तम उपयोग से किसानों की खाद्य, ईंधन, चारे, रेशे, औषधियों और इमारती लकड़ी जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें व अतिरिक्त आमदनी हो सके;

इस तथ्य को पहचानते हुए कि किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि वानिकी की विधियों से राष्ट्र में वृक्षों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि होगी तथा इस क्षेत्र के देशों में 'पारिस्थितिक प्रणाली संबंधी सेवाएं' सुधरेंगी;

यह अनुभव करते हुए कि परंपरागत खेती के साथ वृक्षारोपण को समेकित करने से कुल घटक उत्पादकता को उपयुक्ततम बनाने में बहुत मदद मिलेगी;

यह पहचानते हुए कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृषि वानिकी से सूक्ष्म जलवायु में होने वाले बदलावों को अनुकूल बनाया जा सकेगा और इस प्रकार कार्बन प्रच्छादन या सीक्वेसट्रेशन द्वारा ऊर्जावान तथा टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में योगदान दिया जा सकेगा क्योंकि फार्म पर अधिक अनुकूलन सहित जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटा जा सकेगा;

गैर–टिकाऊ उपयोग तथा घटिया प्रबंध के कारण भूमि अपघटन की गहन समस्या से तथा कृषि वानिकी संबंधी विधियों को अपनाने से होने वाले अनेक लाभों से अवगत होते हुए; और

यह समझते हुए कि कृषि वानिकी से लिंग संबंधी समस्याओं से निपटने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे व संसाधन नियंत्रण, उपयोग और आबंटन में असमानता को दूर करते हुए लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे –

ट्रस्ट फार एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.), वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सैंटर (आईसीआरएएफ), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास), इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री (आईएसएएफ), एशिया–पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (अपारी) के साथ 8–10 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किए गए 'कृषि वानिकी : भावी दिशा' पर क्षेत्रीय परामर्श के प्रतिभागियों ने जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, फिलीपीन्स, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिभागी भी शामिल थे, भारतीय तथा क्षेत्रीय, दोनों

संदर्भों में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्य योजना अपनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की :

भारतीय संदर्भ

1. वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कृषि वानिकी नीति वास्तव में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक नवीन कदम है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन स्थापित किया जाना है, ताकि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए आक्रामक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
2. जैसा कि नीति दस्तावेज में निहित है, रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड आदि की तरह एक कृषि वानिकी बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वन्य उत्पादों के मूल्य निर्धारण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, खरीद, ऋण, बीमा, विपणन आदि में सुविधा हो तथा कृषि वानिकी अपनाने वाले तथा पर्यावरणीय सेवाओं से जुड़े अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रोत्साहन दिए जा सकें।
3. कृषि वानिकी संबंधी कार्यों से देश में वर्तमान 24 प्रतिशत वृक्षाच्छादन को बढ़ाने में सक्षम रूप से योगदान हो सकता है जिससे 33 प्रतिशत का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए लगभग 12–14 मिलियन हैक्टर क्षेत्र अर्थात् कृषि वानिकी संबंधी विधियों के अंतर्गत कुल खेती योग्य क्षेत्र के 8–10 प्रतिशत भाग को पर्याप्त रूप से वृक्षों से आच्छिदित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए कृषि वानिकी को अन्य क्षेत्रों जैसे अपघटित भूमियों व शुष्क क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए।
4. देश में प्रत्येक कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि वानिकी संबंधी वृक्ष प्रजातियों की प्राथमिकता के आधार पर 'पहचान की जानी चाहिए' तथा उन्हें तत्काल 'विअधिसूचित' करने का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए।
5. राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी संबंधी प्रयासों में तेजी लाने के लिए यह गहन सिफारिश की जाती है कि 12वीं योजना के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्टाफ की संख्या को बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में कम से कम एक विषय–वस्तु विशेषज्ञ इस विषय अर्थात् कृषि वानिकी का होना चाहिए।
6. कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रवार वैज्ञानिक भूमि उपयोग नियोजन पर सुझाव देने के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों का एक कार्य दल गठित किया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध अनुसंधान परिणामों के आधार पर सर्वाधिक लाभदायक वृक्ष प्रजातियों को पहचानते हुए उन्हें बढ़ावा दिया जा सके।
7. अनुसंधान संस्थाओं द्वारा पहचानी गई श्रेष्ठ सामग्री अर्थात् उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री को उत्पन्न करने के लिए अब विशेष प्रयासों की आवश्यकता है और इसके साथ ही संबंधित प्रमाणीकरण व प्रत्यायन प्रणालियों की भी बहुत जरूरत है।
8. गरीबी को दूर करने, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा, कुशलता के विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने तथा खराब हो चुकी भूमियों को फिर से सुधारने के लिए राष्ट्रीय टिकाऊ विकास की कार्यनीतियों को कृषि वानिकी के मामले में भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के संदर्भ में भारत के लिए निर्धारित राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए योगदानों (आईएनडीसी) की दिशा में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य किया जा सके।

9. भारत के आईएनडीसी में जलवायु के प्रति न्याय की ओर इशारा किया गया है, अतः यह स्पष्ट है कि कृषि वानिकी हमारे कमजोर तथा संसाधनहीन समुदायों को समुत्थानशील बनाने में सक्षम भूमिका निभा सकती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विधियां अपनाने की इसकी क्षमता के कारण इसे किसानों के कल्याण से संबंधित सभी उपायों में लागू किया जा सकता है।
10. अनुसंधान, विस्तार, उद्यम तथा शिक्षा के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों (कारपोरेट तथा छोटी सहकारिताओं सहित) द्वारा कृषि वानिकी संबंधी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि वानिकी के लिए जलवायु वित्त सहित नवीन वित्तीय क्रियाविधियां विकसित की जानी चाहिए ताकि कृषि व्यापार से जुड़े छोटे उद्यमियों और छोटी जोत के किसानों को इन भागीदारी युक्त साझेदारियों से लाभ प्राप्त हो सके।

क्षेत्रीय संदर्भ

1. कृषि वानिकी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय/एजेंसी/मुख्य केन्द्र की राष्ट्रीय तथा उप राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए।
2. कृषि वानिकी पर विशिष्ट राष्ट्रीय नीतियों के विकास तथा उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम क्रियाविधियों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय अनुभव, आईसीएआरएफ की विशेषज्ञता, 'अपारी' की सुविधा प्रदान करने की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायता इस पहल के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
3. आईसीआरएएफ की सुविधा प्रदान करने की भूमिका से युक्त तथा 'अपारी' की साझेदारी में कृषि वानिकी पर क्षेत्रीय कंसोर्टियम व नेटवर्क तत्काल आरंभ करने की आवश्यकता है, ताकि नीतियों को उचित रूप से प्रचारित–प्रसारित करने, जन–सामान्य में जागरूकता लाने, अनुसंधान संबंधी सहयोग विकसित करने, ज्ञान तथा जननद्रव्य में साझेदारी करने, क्षमता निर्माण तथा कार्यों तथा अन्य सामूहिक कार्यों को तेजी से आरंभ करते हुए पूरा किया जा सके।
4. प्रस्तावित क्षेत्रीय नेटवर्क को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि एक ठोस क्षेत्रीय कृषि वानिकी डेटाबेस, सूचना प्रणाली तथा निर्णय सहायी कृषि पारिस्थितिकी आधारित प्रणाली विकसित की जा सके। इस क्षेत्र के देशों में सफलता की कहानियों की भी भागीदारी होनी चाहिए तथा उन्हें खुली पहुंच के माध्यम से सभी तक पहुंचाया जाना चाहिए।
5. टिकाऊ निर्धारकों की पहचान व उनके मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि विपणन संबंधी क्रियाविधि, आयात और निर्यात नीतियों, समर्थन मूल्यों आदि सहित कृषि वानिकी संबंधी नवीन खोजों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके।
6. चूंकि कृषि वानिकी में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए निवेश बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर वर्तमान की तुलना में कम से कम दो गुना किया जाना चाहिए।
7. पारिस्थितिक प्रणाली संबंधी सेवाओं, कार्बन प्रच्छादन, जलवायु परिवर्तन से निपटने व अनुकूलन आदि के क्षेत्र में कृषि वानिकी के योगदानों के मात्रात्मक निर्धारण के लिए मध्यम से दीर्घावधि सहयोगी अध्ययनों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है और ऐसा अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों (आईएआरसी) व अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।
8. कृषि वानिकी उत्पादों की मूल्यवर्धन श्रृंखलाओं का विकास आशाजनक नई खोजों को स्केल अप करने में महत्वपूर्ण होगा और इसके साथ ही कृषि वानिकी के क्षेत्र में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने में

भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः मूल्य श्रृंखला (कृषक से उपभोक्ता तक) में सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए व्यापार नियोजन तथा विकास में मिशन मोड दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है।

9. सक्षम पर्यावरण जैसे प्रक्रियाओं को पेटेंट कराने, ब्रांडिंग, उत्पादकों और उद्योगों दोनों को प्रोत्साहन देने आदि जैसे सक्षम उपायों को सृजित करके सार्वजनिक–निजी साझेदारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में कृषि वानिकी को और बढ़ावा दिया जा सके।

नई दिल्ली में 10 अक्तूबर 2015 को सभी प्रतिभागियों तथा सह–आयोजकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई व पुष्टि की गई।

प्रतियों के लिए सम्पर्क करें
ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास)
एवेन्यू–II, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पूसा परिसर, नई दिल्ली– 110012, भारत
टेलीफोनः +91–11–65437870, टेलीफैक्स : +91–11–25843243
ई–मेल : taasiari@gmail.com, वैबसाइट :www.taas.in